


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

दलीप पौर ..... बनाम ..... रमेश कुमार आदि .....  
 संख्या ..... 15 ..... / 2023 अन्तर्गत धारा ..... 88, 53, 188 RTA .....

क्र.सं.	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर एवं दिनांक जो इस आदेश की पालना में जारी हुए
11 22/23	<p>वादी व वादी अधिवक्ता उपस्थित नहीं।                      वादी व वादी अधिवक्ता को सूक-र                      कर 3 बार आवाज लगावाई गई।                      कोई उपस्थित नहीं आया। वादी                      का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188                      RTA अदम्य पैरवी, अदम्य हाजरी में                      इसी स्तर पर स्थापित किया जाता                      है। पत्रावली विणीति होकर नम्बर                      से कम होकर दाखिल दफ्तर है।</p> <p style="text-align: right;">                           उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)                          श्री करणपुर                     </p>	